

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठारीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 67/2022

निर्णय दिनांक : 01.12.2023

1. श्रीमती अंजना पत्नी श्री गोपाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
2. श्रीमती अर्चना पत्नी राधारमण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।
3. केदारलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
4. गोपाललाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
5. राधारमण पुत्र श्री रामनारायण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।

वादी

बनाम

1. श्रीमती आशा पाण्डे पत्नी श्री शशीकान्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 53-54 रधुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रताप नगर सांगानेर जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वाद पत्र बाबत तकासमाएवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 111 एवं 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाके ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 33 पुराना 20 के हाल खसरा नम्बर 4308 रकबा 0.10 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र. सं.	जमाबन्दी खाता नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	किस्म	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	33	4308	0.10		चाही ए	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 3/50 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, अर्चना पत्नि राधारमण हिस्सा 3/50, जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, आशा पाण्डे पत्नी शशीकान्त शर्मा हिस्सा 7/10 जाति ब्राह्मण सा. 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रतापनगर सांगानेर खातेदार, केदारमल पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 3/50 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, गोपाल लाल गोयल पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 3/50 जाति महाजन निवासी बी 10 तुलसीदार की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 3/50 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार,
कुल किता		1	0.10 रकबा			

प्रस्तावित कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार

क्र.सं.	खातेदारों का नाम/पिता मय पता	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, अर्चना पत्नि राधारमण हिस्सा 1/5, जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, केदारमल पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, गोपाल	4308 में से	0.03	चाही ए	



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर वितीय (सांगानेर)

लाल गोयल पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 1/5 जाति महाजन निवासी बी 10 तुलसीदार की बगीची, जनता कॉलनी जयपुर खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलनी जयपुर खातेदार			
	01	0.03	
आशा पाण्डे पत्नी शशीकान्त शर्मा जाति ब्राह्मण सा. 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रतापनगर सांगानेर खातेदार	4308 में से	0.07	चाही ए
	1	0.07	

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....रु. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकरु. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

जयपुर जज
जयपुर जज (सांगानेर)
आदेश

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान	1	00

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



जयपुर जज
जयपुर जज (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 67/2022

निर्णय दिनांक : 01/12/2023

1. श्रीमती अंजना पत्नी श्री गोपाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
2. श्रीमती अर्चना पत्नी राधारमण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।
3. केदारलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
4. गोपाललाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
5. राधारमण पुत्र श्री रामनारायण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।

वादी

बनाम

1. श्रीमती आशा पाण्डे पत्नी श्री शशीकान्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रताप नगर सांगानेर जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वाद पत्र बाबत तकासमाएवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 111 एवं 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

वादी ने वाद पत्र बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादी केवाद में दिनांक 04.09.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि उपभयपक्षों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउड्स एवं कब्जे काश्तके आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर न्यायालय में दिनांक 04.11.2022 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भु0अ0/2023/डिक्री/5 दिनांक 02.01.2023 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

निवेदन किया है। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 33 पुराना 20 के हाल खसरा नम्बर 4308 रकबा 0.10 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज						
क्र. सं.	जमाबंदी खाता नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	किस्म	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	33	4308	0.10		चाही ए	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 3/50 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, अर्चना पत्नि राधारमण हिस्सा 3/50, जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, आशा पाण्डे पत्नी शशीकान्त शर्मा हिस्सा 7/10 जाति ब्राह्मण सा. 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रतापनगर सांगानेर खातेदार, केदारमल पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 3/50 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, गोपाल लाल गोयल पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 3/50 जाति महाजन निवासी बी 10 तुलसीदार की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 3/50 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार,
कुल किता		1	0.10 रकबा			



उपर्युक्त अधिकारी
जयपुर जिला (सांगानेर)

प्रस्तावित कुरेजात रिपोर्ट अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	खातेदारों का नाम/पिता मय पता	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, अर्चना पत्नि राधारमण हिस्सा 1/5, जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, केदारमल पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, गोपाल लाल गोयल पुत्र केदार लाल गोयल हिस्सा 1/5 जाति महाजन निवासी बी 10 तुलसीदार की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल नि. जनता कॉलानी जयपुर खातेदार	4308 में से	0.03	चाही ए	
		01	0.03		
	आशा पाण्डे पत्नी शशीकान्त शर्मा जाति ब्राह्मण सा. 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रतापनगर सांगानेर खातेदार	4308 में से	0.07	चाही ए	
		1	0.07		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2023 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।



(महीपाल) सिंह
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर